

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2335 सन 2026

श्री सूर्य सिंहआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्यविपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता	:	शिव कुमार गुप्ता
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान प्रार्थना-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 73 सन 2026 धारा 109(1), 352 बी.एन.एस., थाना-गढ़मुक्तेश्वर, जनपद-हापुड़ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि कथित घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक सहित तीन व्यक्तियों द्वारा अपने आग्नेयास्त्र से फायर करने का प्रयास किया गया, तथापि कोई फायर नहीं हो सका। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम ग्रामवासी के बयान में प्रकाश में आया है। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का आश्वासन देता है और अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।
- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक सहित तीन व्यक्तियों द्वारा अपने आग्नेयास्त्र से फायर करने का प्रयास किया गया, तथापि कोई फायर नहीं हो सका। यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम ग्रामवासी के बयान में प्रकाश में आया है। सह-अभियुक्त शिवम लोधी को सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में ही नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।
- यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन कर जाने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी विचार में लेना चाहिए।



7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों, आवेदक की भूमिका तथा मामले से संबद्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

9. यदि आवेदक- श्री सूर्य सिंह को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समतुल्य राशि की दो प्रतिभूतियों प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने को छोड़कर नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, को इस उद्देश्य से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा कि वह ऐसे तथ्यों का न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण न करे;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, जे.)

19 मार्च, 2026
वीरेन्द्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"